



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167487

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27841 वर्ष 2026

मोहन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्तागण : धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, हिमांशु द्विवेदी, नितिश कुमार सोनी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शत्रुघ्न यादव को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 62 वर्ष 2026, धारा 103(1) एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनादाता के बड़े भाई की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान आवेदक को इस आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया कि वह मृतक का किरायेदार था तथा उसके साथ उसका किरायेदारी संबंधी विवाद लंबित था।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार संदेह के अतिरिक्त, सह-अभियुक्त नितिन ने अपनी माता के समक्ष न्यायालयेतर स्वीकारोक्ति की कि उसने और आवेदक ने मिलकर मृतक की हत्या की।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है, जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और जब उसे गिरफ्तार किया गया, तब उसे धारा 109(1) बी.एन.एस. के एक मामले में अभियुक्त बनाया गया, जो पुलिस मुठभेड़, बिना किसी चोट वाले मामले से संबंधित है तथा वर्तमान मामले में वह दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले तीन माह से अधिक समय से।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान केवल संदेह एवं किरायेदारी संबंधी विवाद के आधार पर आवेदक को सह-अभियुक्त नितिन के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इससे परिलक्षित होता है कि अभियोजन के अनुसार संदेह के अतिरिक्त सह-अभियुक्त नितिन ने अपनी माता के समक्ष न्यायालयेतर स्वीकारोक्ति की कि उसने आवेदक के साथ मिलकर मृतक की हत्या की।

10. अभिलेख से आगे यह भी प्रतीत होता है कि उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है।

11. यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल पाता है कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक वर्तमान अपराध के किए जाने में संलिप्त था।

12. आगे, यद्यपि आवेदक का धारा 109(1) बी.एन.एस. से संबंधित एक मामले का आपराधिक इतिहास है, किंतु यह मामला पुलिस मुठभेड़, बिना किसी चोट वाला मामला है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी के समय उसे अभियुक्त बनाया गया था और इससे परिलक्षित होता है कि आवेदक का इसके पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। आगे, आवेदक वर्तमान मामले में दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले तीन माह से अधिक समय से।

13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक-मोहन को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”